

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 429 / 2015..... जिला : जोधपुर
 मैसर्स वरटैक्स, बासनी, जोधपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत-सी, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2017	<p style="text-align: center;">एकलपीठ (कैम्प जोधपुर) श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी की ओर से श्री एस.आर.लूंकड, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित ।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषक ने लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हस्तगत अपील विद्वा करना चाहते हैं, जो पत्रावली में संलग्न है ।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी के आवेदन पत्र विचार किया गया । अपील विद्वा करने के सम्बन्ध में विभागीय प्रतिनिधि को कोई एतराज नहीं है ।</p> <p>अतः अपील विद्वा करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए अपील जरिए विद्वाअल खारिज की जाती है ।</p> <p>निर्णय सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: center;">↓ (मदन लाल मालवीय) सदस्य</p>	